संख्याः 436 /38–7–2010–10एनआरईजीए/05

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 19 जनवरी, 2010

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के सफल संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश विषयक आदेश संख्या–वी–28012/3/05–06/एनआरईजीए दिनांकः 10–01–06 के द्वारा फील्ड स्तर पर कार्मिकों की नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–313/38–7–2010–04विविध/09टी.सी. दिनांकः 13–01–2010, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्मिकों के चयन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को फील्ड स्तर पर कियान्वित करने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्मिकों की सेवाएं लिये जाने हेतु चयन की प्रकिया अत्यंत पाद्वर्शी बनायी जाय। इस संबंध में कृपया निम्न व्यवस्थानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(1) समस्त जनपदों के जिलाधिकारी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा जनपद स्तर स्थानीय लोकप्रिय समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन प्रसारित करायेंगे, जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अधिकतम अवधि एक सप्ताह निर्धारित होगी। अभ्यर्थियों की निर्धारित पदवार शैक्षिक योग्यता, अर्हता, आयु तथा आरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों को जनपद की बेवसाइट पर उपलब्ध करायेंगे, ताकि आवेदन करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को यह अवसर प्राप्त न हो कि उसके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया गया। आवेदनकर्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों को योग्यतानुसार शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा साक्षात्कार में निर्धारित व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अलग–अलग अंकों का निर्धारण किया जायेगा। तद्नुसार ही कुल प्राप्तांकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(2) पदों का विवरणः–

1- तकनीकी सहायक

05 से 10 ग्राम पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक तथा विकास खण्ड स्तर पर एक तकनीकी सहायक की सेवाएं ली जायेंगी। तकनीकी सहायको की शैक्षिक योग्यता निम्नवत होगीः–

न्यूनतम तकनीकी योग्यता हाईस्कूल एवं सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा तथा विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक की सेवाएं लिये

जाने के लिए अभ्यर्थियों के पास उक्त शैक्षिक अर्हता के साथ–साथ 08 वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

आयु– तकनीकी सहायको की न्यूनतम अधिकतम आयु क्रमशः 18 वर्ष व 62 वर्ष होगी। तकनीकी सहायकों के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए यह अवश्य ध्यान में रखा जायेगा कि उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो और उसकी सेवाएं समाप्त न की गयी हो। ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के आदेश दिनांकः 18–01–06 में प्रविधानित व्यवस्थानुसार प्रति माह 4000/– की अधिकतम धनराशि मानदेय के रूप में तथा विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायकों को प्रतिमाह 8000/– की अधिकतम धनराशि मानदेय के रूप में दी जायेगी। सेवाएं प्राप्त करते हुए प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा।

2- <u>अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारीः–</u>

1. प्रत्येक जिले के समस्त विकास खण्ड में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अर्हता स्नातकोत्तर होगी। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के कार्य में वित्तीय प्रबंधन, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन तथा कम्प्यूटर की ज्ञान की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0डब्लू/बी0टेक/बी0ई0 उपाधि धारकों को विशेष अधिमान दिया जायेगा। उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में एम0ए0(सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, अप्लाइड इकोनामिक्स) और एम0कॉम0 योग्यता रखने वाले की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। पदों पर सेवाएं लेते समय राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त आरक्षण नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रत्येक मुख्य विकास अधिकारी तथा संयुक्त विकास आयुक्त के कार्यालय में भी 02–02 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को रूपये 20000/– का अधिकतम मानदेय प्रति माह का भुगतान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रशासनिक मद से किया जायेगा।
3. प्रत्येक विकास खण्ड में एक **कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा इन्ट्री** आपरेटर की सेवाएं ली जायेंगी। उक्त पदों की विहित शैक्षिक योग्यता, अर्हता, **'ओ' लेबल** अथवा इसके समकक्ष होगी। इस पद हेतु अधिकतम रू0 8000/– प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जायेगा। सेवाएं प्राप्त करते समय राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
4. प्रत्येक विकास खण्ड में एक **एकाउण्ट असिस्टेन्ट** की सेवाएं भी ली जायेंगी, जिसकी शैक्षिक योग्यता बी0कॉम होगी। **एकाउण्ट असिस्टेन्ट** को 8000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।
5. अभ्यर्थियों के चयन में पूर्णरूपेण पारदर्शिता रखे जाने हेतु शैक्षिक योग्यता, अर्हता तथा साक्षात्कार के अंक अलग–अलग निर्धारित किये जायेंगे, जो राज्य सरकार की प्रवृत्त भर्ती/नियुक्ति विषयक नियमों के अनुरूप होगी।
6. अभ्यर्थियों की सेवाएं अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर ली जायेंगी। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उन्हें संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

7. उपरोक्त चयन के फलस्वरूप ली जाने वाली सेवाएं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–35284–35299/09 में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगी।

3– कृपया उपरोक्त निर्धारित चयन प्रकिया/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक माह में चयन की प्रकिया पूर्ण कर कार्मिकों को नियुक्त करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 436 (1)/38–7–2010 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।